(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभित्र निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या कि अस्मान वृद्धि से कारित असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से उनको आंबटित स्थानों को परिवर्तित किए बिना 1991 को जनगणना के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान सीमा को पुनः समायोजित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विभित्र राजनीतिक दलों के साथ 22 मई, 1990 को हुइ बैठक में विचार-वीमर्श किया गया था । तथापि, राजनीतिक दलों ने यह महसूस किया कि विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात तथा परिसीमन आज्ञापक हो जाएगा तथा वर्ष 2000 निकट ही है अतः वीद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार नया परिसौमन किया जा सकता है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी नीति

706. श्री ओंकार सिंह लखावत : **क्या विधि और न्याय** मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही है;

(ख) 1990 से 1997 तक की अवधि के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित और वापिस अपने गृह राज्य में स्थानांतरित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अपनी तैनाति अपने गृह राज्यों में कराने के लिए उच्च न्यैआलयों के न्यायाधीशों से कितने आवेदन लंबित है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) : सरकार ने वीधि आयोग द्वारा उसकी 80वीं रिपोर्ट की इन सिफारिशों को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया था कि एक ऐसा कन्वेंशन होना चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च-न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश किसि अन्य राज्य से होने चाहिए । सरकार ने विनिश्चय किया था कि इसे या तो राज्य के बाहार से आरंभिक नियुक्तियां करके या स्थानंतरण करके कार्यान्वित किया जा सकता है । इस नीति के अनुसरन में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण/नियुक्तियां, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कि सिफारिश पर कि जा रही है ।

इस समय उपर्युक्त नीति मेम कोई परिवर्तन विवक्षित नहीं है ।

(ख) मुख्य न्यायमूर्तियों /न्यायाधीशों के स्थानांतरण निम्नलिखित संख्या में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च-न्यायालय में किए गए थे :

वर्ष	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों / न्यायाधीशों के स्थानांतरण की संख्या
1990	5
1991	8
1992	1
1993	6
1994	144
1995	12
1996	24
1997	42

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकाड़ा खॅ फास लंबित नहीं है ।

Cargo Handling of Visakhapatnam Port

707. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the cargo handled by the Vis akhapatnam Port Trust in 1997-98 as against the target set up;

(b) the berth occupancy of the port and the profit earned during the said period; and

(c) further steps proposed to increase the activities of the Port?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) The Port handled a traffic of 36.01 Million Tonnes as against the target of 35.6 Million Tones during 1997-98.

(b) The overall average betth occupancy was 90% during 1997-98 and the Port